HAPUR POLICE

प्रेस नोट

थाना - पिलखुवा   दिनांक 25.05.2026

- **थाना पिलखुवा पुलिस ने चैकिंग के दौरान अन्तर्राज्जीय शराब तस्कर गिरोह का भंडाफोड करते हुए गिरोह के 02 सदस्यों को किया गिरफ्तार।**
- **जिनके कब्जे से 250 पेटी अवैध शराब (कीमत करीब 18 लाख रुपये), 02 मोबाइल फोन, 10,000/- रुपये नकदी (अवैध शराब विक्रय से अर्जित) व घटना में प्रयुक्त कैन्टर बरामद।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा अवैध शराब को हरियाणा राज्य से लाकर बिहार राज्य में शराब प्रतिबंधित होने के कारण अधिक कीमत पर सप्लाई कर आर्थिक लाभ कमाया जाता था।**

कार्यवाहीः-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को छिजारसी टोल से आगे पिलखुवा से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 250 पेटी अवैध शराब (कीमत करीब 18 लाख रुपये), 02 मोबाइल फोन, 10,000/- रुपये नकदी (अवैध शराब विक्रय से अर्जित) व घटना में प्रयुक्त कैन्टर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. छोटन साहनी पुत्र फकीरा साहनी निवासी ग्राम तरौरा गोपालपुर थाना मुसहडी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार।
2. नीरज कुमार पुत्र नन्द किशोर सहानी निवासी ग्राम बसन्ता थाना लालगंज जनपद वैशाली बिहार।

बरामदगी का विवरणः-

1. 250 पेटी अवैध शराब - कुल 1800 बोतल व 2400 अर्द्ध बोतल (कीमत करीब 18 लाख रुपये)।
2. 02 मोबाइल फोन।
3. 10,000/- रुपये नकदी (अवैध शराब विक्रय से अर्जित)।
4. घटना में प्रयुक्त - आईसर कैन्टर रजि0 नं0 BR 01 GR 1170।

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 1914/2025 अन्तर्गत धारा आबकारी अधिनियम थाना आबकारी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार।
2. मु0अ0सं0 238/26 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 318(4) बीएनएस थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री विवेक चौहान थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।
2. उ0नि0 श्री विरेन्द्र सिंह थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।
3. है0कान्स0 54 अभिषेक थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।
4. है0कान्स0 445 सन्दीप राठी थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।
5. है0कान्स0 953 रिंकू भाटी थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।